महत्वपूर्ण

सं0–39ms/43–2–2014

प्रेषक,

एस0पी0गोयल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग –2 *लखनऊः दिनॉक : 27 जनवरी, 2014*

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं के कार्यान्वयन पर भारत सरकार द्वारा दिया गया मार्गदर्शन ।

महोदय,

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा अपने पत्र सं0 1/6/2011–आई0आर0, दिनॉक 15 अप्रैल, 2013 में यह अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचनाओं को स्वप्रेरणा से घोषित किया जाना है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4(2) तथा धारा–4(3) सूचनाओं के प्रसारित करने की विधि का उल्लेख करती है। अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत सूचनाओं को स्वप्रेरणा से घोषित किए जाने का उद्देश्य लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाना तथा जन सामान्य को अधिक से अधिक सूचनाओं को उपलब्ध कराना है ताकि जन सामान्य को इस अधिनियम का कम से कम उपयोग करना पड़े। उक्त पत्र वेबसाइट persmin.gov.in पर DOPT विषय के अन्तर्गत 'OMs & Orders' Column में RTI विषय के कमाँक 17 पर उपलब्ध है।

2– उक्त पत्र में यह उल्लेख भी किया गया है कि लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू होने की तिथि से जन सामान्य हेतु अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत काफी सूचनाएं स्वप्रेरणा से प्रदान की जा चुकी हैं किन्तु स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं की गुणवत्ता तथा मात्रा वांछित स्तर तक नहीं है। अतः यह अनुभव किया गया है कि अधिनियम की धारा–4 के कमजोर कियान्वयन का कारण कुछ प्राविधानों का विस्तृत रूप से उल्लेख न होना है तथा कुछ अन्य प्राविधानों के सम्बन्ध में विस्तृत मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

3– मई, 2011 में भारत सरकार द्वारा धारा–4(1)(बी) के उचित कियान्वयन के सम्बन्ध में टास्कफोर्स का गठन किया गया तथा टास्कफोर्स की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा धारा–4 के अन्तर्गत स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका तैयार कर जारी की गयी है जो कि भारत सरकार के पत्र दिनॉक 15 अप्रैल, 2013 के साथ

वेबसाइट persmin.gov.in पर DOPT विषय के अन्तर्गत 'OMs & Orders' Column में RTI विषय के क्रमाँक 17 पर उपलब्ध है।

4— कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र सं0 1/6/2011—आई आर दिनॉक 10 दिसम्बर, 2013 (संलग्न) के द्वारा अपने समस्त मंत्रालयों/विभागों आदि से उक्त मार्गदर्शिका के सम्बन्ध में अनुपालन रिपोर्ट की अपेक्षा की गयी है जो कि मार्गदर्शिका जारी होने की तिथि (दिनॉक 15 अप्रैल, 2013) से 6 माह पश्चात उपलब्ध कराई जानी थी तथा पत्र की प्रति समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों को भी प्रेषित की गई है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा—4 के अन्तर्गत स्वप्रेरणा से घोषित की जाने वाली सूचनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका का अपने समस्त लोक प्राधिकरणों में अनुपालन कराकर आख्या प्रशासनिक सुधार विभाग को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि कृत कार्यवाही से भारत सरकार को अवगत कराया जा सके।

संलग्नक—उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0पी0गोयल)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 39MS /43—2—2014, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग।
2— निदेशक (IR), कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक नई दिल्ली।
3— प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन ।
4— संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0।
5— गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(भवेश रंजन)
अनु सचिव।

39 MS/43-2-2013

No. 13579 MS/GI/2013

No 1/6/2011-IR
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Personnel Training

North Block, New Delhi-110001
Dated 10th December, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Guidelines on implementation of suo-motu disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005 – Compliance of.

Attention is invited to this Department's O.M. of even no. dated 15.4.2013 on the subject mentioned above.

2. In that O.M., it was mentioned that each Ministry/Public Authority shall ensure that the guidelines for suo motu disclosure under RTI are fully operationalised within a period of 6 months from the date of their issuance i.e. 15.04.2013. It was also requested that the Action Taken Report on the compliance of guidelines should be sent, alongwith the URL link, to the DoPT and the Central Information Commission soon after the expiry of the initial period of the 6 months. It has been noticed that most of the Ministries/Departments/Public Authorities have not sent the compliance report/Action Taken Report to this Department and Central Information Commission.

3. It is once again requested that the guidelines mentioned in O.M. dated 15.4.2013 be complied with at the earliest and compliance report sent to this Department and Central Information Commission, immediately.

10/12

(Sandeep Jain)
Director (IR)
Tele: 23092755

1. All the Ministries / Departments of the Government of India.
2. Union Public Service Commission /Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.
3. Central Information Commission/ State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi.
5. O/o the Comptroller &Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All officers/Desks/Sections, DOP&T and Department of Pension & Pensioners Welfare.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs

19-12-2013

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

236/PS/CS/13

उपसचिव,
प्रशा० सुधार

20.12.2013
(प्रभात कुमार सारंगी)

संयुक्त निदेशक
कृ. उपरोक्त के संबंध में आ० का० कराने का कष्ट करें।